SPUP
SARDAR PATEL UNIVERSITY OF POLICE, SECURITY AND CRIMINAL JUSTICE
JODHPUR

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय

(राजस्थान सरकार के राज्य विधानसभा कानून के तहत स्थापित)
दईज़र, मथानिया रोड़, जोधपुर (राज.)

क्रमांकः एफ.2(1)एसपीयूपी/2013/Admn&Estt/BOM-Vol.-II/8932 दिनांकः 5/10/16

-:: कार्यवाही विवरण ::-

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रबन्ध बोर्ड की अष्टम बैठक, जो दिनांक **20** सितम्बर **2016** को प्रातः **11.00** बजे माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय जयपुर के सम्भाषा कक्ष में आयोजित की गई, में निम्नलिखित सदस्य महानुभाव उपस्थित हुए-

1. डॉ. भूपेन्द्र सिंह, माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष, एसपीयूपी, जोधपुर।
2. श्री मनोज भट्ट, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान।
3. श्री नन्दकिशोर, कार्यवाहक निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
4. प्रो. सी.वी.आर. मूर्ति, निदेशक, आईआईटी, जोधपुर।
5. श्री रतनलाल मिश्रा, सेवानिवृत्त प्राचार्य, सीकर।
6. श्री एन.आर.के. रेड्डी, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कानून व्यवस्था), विशेष आमंत्रित।
7. श्री आर.के. अरोड़ा, कमाण्डेन्ट, बीएसएफ एवं सह-आचार्य (प्रतिनियुक्ति पर) एसपीयूपी, जोधपुर
8. श्रीमती आनन्दी, कुलसचिव, एसपीयूपी, जोधपुर

प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में निम्नलिखित सदस्य महानुभाव उपस्थित नहीं हुए-

1. श्री केसाराम चौधरी, माननीय विधायक, मारवाड़ जंक्शन, पाली
2. श्री मदन राठौड़, माननीय विधायक सुमेरपुर, पाली
3. श्री बी.एल. चौधरी, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार
5. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार
6. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार
7. प्रो. पूनम सक्सेना, कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में उपस्थित सदस्य महानुभावों के स्वागतोपरान्त, विश्वविद्यालय द्वारा वर्षपर्यन्त संचालित की जाने वाली गतिविधियों से अवगत कराते हुए, बिन्दुवार चर्चा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श कर, निम्नानुसार निर्णय लिये गये-

<u>बिन्दु संख्या- 8/1-</u> विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की सप्तम बैठक दिनांक 14 जनवरी 2016 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

प्रबन्ध बोर्ड की सप्तम बैठक दिनांक 14 जनवरी 2016 की बैठक का कार्य विवरण पुष्टि के लिए प्रस्तुत हुआ।कुलपति महोदय द्वारा बताया गया कि कार्य विवरण सभी सदस्यों को पूर्व में भेजा जा चुका है।कार्यालय को कार्य विवरण के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।अतः यह माना जा सकता है कि कार्य विवरण का अंकन सही रूप में हुआ है। यदि सदस्यों को फिर भी कार्य विवरण के सम्बन्ध में कुछ कहना हो तो वे अभी अपने विचार रख सकते हैं।

निर्णय - प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

<u>बिन्दु संख्या- 8/2-</u> विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की सप्तम बैठक दिनांक 14 जनवरी 2016 के कार्यवाही विवरण के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण।

प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 11 जून 2015 की बैठक के कार्य विवरण पर की गयी कार्यवाही का विवरण प्रबन्ध बोर्ड के अवलोकनार्थ प्रस्तुत हुआ।

बिन्दु संख्या 7/5, 7/6 एवं 7/7 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के प्रस्तावित परिनियम, आर्डिनेन्सेज़ एवं सेवानियम का विस्तृत अध्यन करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व कुलपति श्री एम.एल. कुमावत की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। जिसमें प्रो. सी.वी. आर. मूर्ति, निदेशक आईआईटी जोधपुर, श्रीमती के.बी.वन्दना एवं कुलसचिव, एसपीयूपी को सदस्य बनाया गया था। श्रीमती के.बी. वन्दना का स्थानान्तरण हो जाने की वजह से इस समिति की काफी समय से बैठक नहीं हो पायी। जिस पर सदस्य महानुभावों ने जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा करने के निर्देश दिये।

बिन्दु संख्या 7/9 के तहत विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के साथ एमओयू के प्रभावी संपादन के लिए हरेक एमओयू के लिए एक संकाय सदस्य को नोडल ऑफिसर बनाया गया है एवं कुछ नोडल ऑफिसर इन संस्थाओं के साथ मिलकर अगले एक वर्ष की विभिन्न गतिविधियों के आयोजन की योजना बना चुके है। इस पर सदस्यगण महानुभावों का सुझाव था कि प्रत्येक नोडल ऑफिसर को एक निर्धारित प्रारूप दिया जाये जिसमें वो अपनी वर्ष भर की सभी गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें।

<u>निर्णय</u> - प्रबन्ध बोर्ड की सप्तम बैठक दिनांक **14** जनवरी **2016** के कार्यवाही विवरणानुसार, विश्वविद्यालय द्वारा की गई अनुपालना-प्रतिवेदन का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। एवं सदस्य महानुभावों द्वारा दिये गये सुझावों पर अमल करने के लिए कुलपति महोदय द्वारा कुलसचिव को निर्देशित किया गया।

<u>बिन्दु संख्या- 8/3</u> विश्वविद्यालय के विभिन्न केन्द्रों/विभागों द्वारा आयोजित किये गये सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्यशाला की सूचना।

कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न केन्द्रो एवं विभागों द्वारा 14 जनवरी 2016 के पश्चात आयोजित की गई विभिन्न सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्यशाला की सूचना, प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की -

S.No.	Date	Programme/Topic	Organized by
1.	**23rd January 2016**	Workshop on **Financial Literacy**	Center for Economic Crimes and Counter Corruption Studies
2.	**8th-9th September, 2016**	Two Days Conference on **Investigation of Financial Frauds**	In collaboration with Rajasthan Police at Rajasthan Police Academy (RPA), Jaipur
3.	**13th-14th April, 2016**	Two Days National Seminar on **Dr. B.R. Ambedkar- Contribution to National Building.**	Centre for Social Defense and Gender Studies, Jodhpur
4.	**31st August 2016**	One day Workshop In collaboration with Directorate of Women Empowerment on **Role of Police in Combating Crime against Women.**	Centre for Economic Crimes and Counter-Corruption Studies

Am

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाले Centre for Road Safety, Jaipur एवं Centre for Child Protection, Jaipur द्वारा आयोजित किये गये विभिन्न सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्यशाला/कार्यक्रम की सूचना भी अलग से दी गई।

निर्णय – विश्वविद्यालय के विभिन्न केन्द्रो विभागों द्वारा आयोजित किये गये सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्यशाला/कार्यक्रम की सूचना को अभिलिखित किया गया एवं उनकी विस्तृत लिखित रिपोर्ट तैयार कर उन्हें संधारित किये जाने के निर्देश दिये गये। सभी सम्मेलनों/कार्यशाला/संगोष्ठी की रिपोर्ट प्रबन्ध बोर्ड के सभी सदस्यों को वितरित करने के निर्देश भी दिये गये।

बिन्दु संख्या- 8/4- विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की 7वीं बैठक दिनांक 14 जनवरी 2016 के उपरान्त, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों की रिपोर्ट।

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रबन्ध बोर्ड की 7वीं बैठक, जो दिनांक 14 जनवरी 2016 को आयोजित की गई थी, के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष वास्ते अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई।

कुलपति महोदय द्वारा सदस्यगणों को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में बताया गया। जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किये गये नये पाठ्यक्रम एवं नवाचारों की जानकारी दी गई। विश्वविद्यालय में रिकोर्डिंग एवं ऑनलाईन कोर्सेज शुरू करने के लिए BECIL ,व RIICO की मदद से रिकोर्डिंग स्टूडियो बनाया गया, जिसके माध्यम से जोधपुर से बाहर रहने वाले पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी तथा अन्य इच्छुक लोग लाभान्वित हो सकेगें। ऑनलाईन कोर्स रिकोर्डिंग के लिए सभी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को प्रशिक्षिण भी दिया गया है एवं जल्द ही लेक्चर रिकोर्डिंग की कार्यवाही शुरू कर दी जायेगी। सभी सदस्यगणों ने इस नवाचार की प्रशंसा की। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए रोजगार पाने हेतु आवश्यक कौशल विकास का कार्यक्रम भी विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जा रहा है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत ग्रान्ट लेने हेतु प्रस्ताव तैयार कर स्टेट कॉर्डिनेटर को भेजा जा चुका है जिन्होनें हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भिजवा दिया गया है।

कुलपति महोदय द्वारा सेन्टर फॉर डिजास्टर मेनेजमेन्ट एवं इन्स्टालेशन सिक्योरिटी द्वारा शुरू किये जा रहे नये प्रोग्राम एवं क्क्डच के लिए सभी जिलो को प्रस्ताव भेजे जाने के बारे में सदस्यगणों को सूचित किया गया।

कुलपति महोदय द्वारा साइबर सिक्योरिटी कोर्स के विद्यार्थियों की प्लेसमेन्ट के बारे में जानकारी दी गई एवं बताया गया कि इस बार विश्वविद्यालय से विभिन्न संस्थाओं में चयनित होने वाले छात्रों की संख्या कम रही जिसका मुख्य कारण Communication Skills एवं व्यक्तित्व संबंधी गुणों का अभाव रहा। इसे दूर करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियमित रूप से व्यक्तित्व विकास एवं Communication Skills की नियमित कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है।

सदस्यगणों द्वारा सुझाव दिया गया कि प्लेसमेन्ट के लिए एक कर्मचारी को संविदा के आधार पर रखा जायें ताकि वो कम्पनियों के साथ पत्राचार एवं वार्तालाप नियमित रूप से कर सके।

कुलसचिव द्वारा सदस्यगणों को बताया गया कि आईआईटी निदेशक ने कम्पनियों की जानकारी विश्वविद्यालय के साथ साझा की है एवं विश्वविद्यालय के साइबर सिक्योरिटी के विद्यार्थियों को आईआईटी की प्लेसमेन्ट प्रोसेस में भाग लेने की अनुमति प्रदान की है।

निर्णय – प्रबन्ध बोर्ड की सप्तम बैठक दिनांक 14 जनवरी 2016 के उपरान्त, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों की रिपोर्ट को अभिलिखित एवं अनुमोदन किया गया एवं सदस्य महानुभावों द्वारा दिये गये सुझावों पर अमल करने के लिए कुलपति महोदय द्वारा कुलसचिव को निर्देशित किया गया।

बिन्द संख्या-8/5-लेखा अंकेक्षक द्वारा प्रस्तुत विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंकेक्षित लेखों एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन पर विचार।

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में, इस कार्यालय के आदेशांक 7924-31 दिनांक 24.11.2014 के तहत नियुक्त किये गये संधिलेखापाल यथा उत्तम आबूवाला एण्ड कम्पनी, जोधपुर द्वारा विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय वर्ष 2014-15 में किये गये लेखा अंकेक्षण की रिपोर्ट, प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष वास्ते अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय – विश्वविद्यालय के लेखा अंकेक्षक यथा उत्तम आबूवाला एण्ड कम्पनी, जोधपुर द्वारा विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2014-15 के किये गये अंकेक्षित लेखों एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन का, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या- 8/6- विश्वविद्यालय की वित्त समिति में प्रबन्ध बोर्ड द्वारा प्रबन्ध बोर्ड के एक अशासकीय सदस्य के नामनिर्देशन पर विचार।

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम 2012 की धारा-28-1(f)- बोर्ड द्वारा इसके अशासकीय सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला बोर्ड का एक सदस्य, के प्रावधानान्तर्गत प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 के एजेण्डा संख्या-11 के तहत प्रो. सी.वी.आर. मूर्ति, निदेशक, आईआईटी, जोधपुर, राजस्थान को कार्यालय आदेशांक 1909 दिनांक 04.03.2014 के तहत विश्वविद्यालय की वित्त समिति का दो वर्ष की अवधि हेतु सदस्य मनोनीत किया गया था जिसके अनुसार श्री सी.वी.आर. मूर्ति का कार्यकाल दिनांक 22.12.2015 को पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप, विश्वविद्यालय द्वारा उक्त प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 14.01.2016 के टेबल एजेण्डा संख्या-1 के तहत, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2012 की संदर्भित धारा के अन्तर्गत, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नवीन सदस्य का नामनिर्देशन किये जाने हेतु, वास्ते अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया था जिसके सम्बन्ध में प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सदस्य के नामनिर्देशन हेतु सर्वसम्मति से माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

उक्त प्रकरण माननीय कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने पर, विश्वविद्यालय की वित्त समिति में नवीन सदस्य मनोनयन करने के सम्बन्ध में पुनः प्रस्ताव, प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष वास्ते अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय – विश्वविद्यालय की वित्त समिति में प्रबन्ध बोर्ड द्वारा प्रबन्ध बोर्ड के एक अशासकीय सदस्य के रूप में प्रो. सी.वी.आर. मूर्ति, निदेशक आईआईटी, जोधपुर को नामनिर्देशन किया गया।

बिन्दु संख्या-8/7- विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक पद पर नियुक्त कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त पुनः निरन्तर सेवा में रखे जाने का प्रकरण, हेतु अनुमोदनार्थ।

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर हेतु राज्य सरकार द्वारा अशैक्षणिक संवर्ग में स्वीकृत किये गये वरिष्ठ लिपिक के पद पर नियमित चयन हेतु, दिनांक 26.06.2014 को आयोजित की गई चयन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार, इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 4789-91 दिनांक 27.06.14 के तहत श्री रामचन्द्र सोलंकी का चयन किया गया जिसकी अनुपालना में, श्री रामचन्द्र सोलंकी द्वारा दिनांक 08.08.14 को मध्याहृन पूर्व, विश्वविद्यालय में वरिष्ठ लिपिक के पद पर, वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे-2800 में, कार्यग्रहण किया गया। श्री रामचन्द्र सोलंकी, वरिष्ठ लिपिक द्वारा इस विश्वविद्यालय में परीवीक्षा की अवधि, पैतृक विभाग से दो वर्ष की लियन (स्पमद) अवधि (आदेश क्रमांक 502-06 दिनांक 15.01.16 के तहत) स्वीकृत करवाई गई।

श्री रामचन्द्र सोलंकी, वरिष्ठ लिपिक, एसपीयूपी, जोधपुर द्वारा उचित माध्यम से, अपने पैतृक विभाग, महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल, मुख्यालय त्रिपुरा फ्रन्टियर, सीसुब, सालबगान, अगरतला, त्रिपुरा द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण-पत्र क्रमांक 10148-56 दिनांक 30.07.2014 प्राप्त कर, इस विश्वविद्यालय में आवेदन किया गया।

श्री रामचन्द्र सोलंकी, वरिष्ठ लिपिक, एसपीयूपी, जोधपुर द्वारा इस विश्वविद्यालय में दिनांक 08.08.2014 को मध्याहृन पूर्व कार्यग्रहण करने के उपरान्त, अपने निवेदन-पत्र दिनांक 10.09.2014 के साथ गत वेतन भुगतान-पत्र संलग्न कर, वेतन संरक्षण की मांग की गई जिसके सम्बन्ध में, विश्वविद्यालय द्वारा आदेश क्रमांक 7402-04 दिनांक 12.09.2014 के तहत, मूल वेतन 12ए630/- के आधार पर, श्री रामचन्द्र सोलंकी का वेतन संरक्षण (Pay Protection) किया गया। श्री रामचन्द्र सोलंकी का वेतन संरक्षण (Pay Protection) किये जाने के उपरान्त, उनके द्वारा इस विश्वविद्यालय में दिनांक 08.10.2014 को घोषणा-पत्र प्रस्तुत कर, वेतन नियतन में पाई गई विसंगतियों के फलस्वरूप, की जाने वाली कटौतियों के लिए, सहमति प्रस्तुत की गई।

श्री रामचन्द्र सोलंकी, वरिष्ठ लिपिक द्वारा दिनांक 20 मई 2016 के तहत सीमा सुरक्षा बल में लियन (Lien) रखते हुए, पैतृक विभाग में सेवा बहाली हेतु निवेदन किया गया। श्री रामचन्द्र सोलंकी द्वारा किये गये निवेदन के क्रम में, महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल, मुख्यालय त्रिपुरा फ्रन्टियर, सीसुब, सालबगान, अगरतला, त्रिपुरा द्वारा आदेश क्रमांक 7084-91 दिनांक 23.07.2016 के तहत दो वर्ष की लियन (Lien) अवधि के दौरान, दिनांक 31.07.2016 से पूर्व/को पुनः पैतृक विभाग में कार्यग्रहण करने के आदेश जारी किये गये जिसकी अनुपालना में, श्री रामचन्द्र सोलंकी द्वारा इस विश्वविद्यालय में निवेदन पत्र दिनांक 25.07.2016 प्रस्तुत कर, विश्वविद्यालय के वरिष्ठ लिपिक के पद से कार्यमुक्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

श्री रामचन्द्र सोलंकी, वरिष्ठ लिपिक, एसपीयूपी, जोधपुर द्वारा निवेदन किये जाने पर, माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त, इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1848-55 दिनांक 27.07.2016 के तहत श्री रामचन्द्र सोलंकी को दिनांक 27.07.2016 को मध्याहृन पश्चात्, विश्वविद्यालय के वरिष्ठ लिपिक के पद से कार्यमुक्त किया जाकर, महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल, मुख्यालय त्रिपुरा फ्रन्टियर, सीसुब, सालबगान, अगरतला, त्रिपुरा में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

श्री रामचन्द्र सोलंकी द्वारा अपने निवेदन-पत्र दिनांक 28.07.2016 के तहत, निजी/पारिवारिक कारणों से, विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये उक्त आदेश को निरस्त कर, पुनः सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर में सेवा निरन्तरता हेतु निवेदन किया गया। श्री रामचन्द्र सोलंकी द्वारा किये गये निवेदन के क्रम में, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय के नियमों में प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension Govt. of India ds Notification dated 28.07.2016 के नियम संख्या &G.S.R.585(E)-1- से का संदर्भ लेते हुए एवं श्री रामचन्द्र सोलंकी की इस विश्वविद्यालय में सेवाऐं संतोषजनक होने के कारण, माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त, इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2007-2014 दिनांक 03.08.2016 के तहत विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में कार्यमुक्त किये जाने हेतु जारी किये गये संदर्भित आदेश का निरस्तीकरण, विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की अनुशंसा के अध्यधीन रखते हुए, श्री रामचन्द्र सोलंकी की सेवाऐं विश्वविद्यालय के वरिष्ठ लिपिक के पद पर, पूर्ववर्ती शर्तों के आधार पर, पुनः कार्यग्रहण करने की तिथि से, निरन्तर किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये जिसकी अनुपालना में, श्री रामचन्द्र सोलंकी द्वारा विश्वविद्यालय के वरिष्ठ लिपिक के पद पर, दिनांक 04.08.2016 को मध्याह्न पूर्व, पुनः कार्यग्रहण किया गया जिसकी निरतरता में, इस कार्यालय के आदेशांक 2368-74 दिनांक 31.08.2016 के तहत श्री रामचन्द्र सोलंकी द्वारा, दिनांक 27.07.2016 को मध्याह्न पश्चात् कार्यमुक्त होने के उपरान्त एवं पुनः दिनांक 04.08.2016 को मध्याह्न पूर्व किये गये कार्यग्रहण के बीच की अवधि/दिवसों (यथा कुल 07 दिवस) हेतु, अवैतनिक अवकाश (Leave Without Pay) स्वीकृत करते हुए, श्री रामचन्द्र सोलकी को पुनः 04.08.2016 से विश्वविद्यालय की कार्मिक शक्ति (Taken on strength) में सम्मिलित किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये।

अतः पूर्ण प्रकरण, प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष वास्ते अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत किया गया।

निर्णय – प्रबन्ध बोर्ड द्वारा, विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक पद पर नियुक्त कार्मिक श्री रामचन्द्र सोलंकी, वरिष्ठ लिपिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त पुनः निरन्तर सेवा में रखे जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या- 8/8- विश्वविद्यालय में शोधपीठ की स्थापना किये जाने बाबत माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के निर्देशों की अनुपालना हेतु,अग्रिम कार्यवाही निर्धारित किये जाने पर पर विचार।

विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर द्वारा पत्रांक 3905 दिनांक 16.05.2016 के तहत, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों में देश के महान राष्ट्रीय व्यक्तित्त्वों पर शोध हेतु शोध-पीठ प्रारम्भ करने एवं इन महान व्यक्तित्त्वों के जीवन आदर्शों एवं क्रिया-कलापों पर शोध कार्य किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

इसी क्रम में श्री कल्याण सिंह, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा अ.शा.टीप. पत्रांक 4405 दिनांक 27 मई 2016 के तहत विश्वविद्यालय में शोधपीठ हेतु, महान व्यक्तित्त्व का चयन करते समय राजस्थान के ख्यातिनाम साहित्यकार, समाजसेवी, स्वतन्त्रता सेनानी, लोक देवता, सन्त, भक्ति-विचारक, शासक आदि पर विचार किये जाने एवं एतदर्थ भामाशाह, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, रामदेवजी, मीरा, तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी, केसरी सिंह बारहठ, गोकुलभाई भट्ट, माणिक्य लाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय आदि नाम सुझाये हैं।

विश्वविद्यालय में शोधपीठ स्थापित किये जाने बाबत उपरोक्तानुसार संदर्भित नामों अथवा कोई अन्य महान व्यक्तित्त्व के नाम निर्धारण हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष कुलपति महोदय द्वारा वास्ते अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ सादर प्रस्तुत किया गया।

निर्णय – विश्वविद्यालय का नामकरण सरदार पटेल के नाम पर ही किया गया है जिन्होनें भारत के गृह मंत्री के रूप में पूरे देश को एकसूत्र में पिरोने का महान कार्य किया। अतः प्रबन्ध बोर्ड द्वारा, विश्वविद्यालय में शोधपीठ की स्थापना किये जाने बाबत माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के निर्देशों की अनुपालना में लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर शोधपीठ स्थापित किय जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या-8/9- विश्वविद्यालय के कुलसचिव पद पर अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किये गये अतिरिक्त कार्य हेतु, स्वीकृत किये गये दोहरा कार्यभत्ता की पुष्टि हेतु प्रस्ताव।

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक 961-970 दिनांक 30.09.2013 के तहत श्रीमती के.बी. वन्दना, अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं लैंगिक अध्ययन केन्द्र, जोधपुर को विश्वविद्यालय के कुलसचिव के पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था जिसकी पालना में श्रीमती के.बी. वन्दना, अतिरिक्त निदेशक द्वारा पत्रांक 971-978 दिनांक 30.09.2013 के तहत कुलसचिव पद का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया गया।

श्रीमती के.बी. वन्दना, अतिरिक्त निदेशक द्वारा किये गये उक्त अतिरिक्त कार्य हेतु, अतिरिक्त कार्य-भत्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किये जाने पर, माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त राजस्थान सेवा नियम 35 एवं 50 के तहत 30 दिन से अधिक, किन्तु 60 दिवस तक स्वयं के वेतन का 1) : एवं 60 दिन से अधिक किन्तु अधिकतम 06 माह तक 3: अतिरिक्त कार्यभत्ता के प्रावधानानुसार, इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 190-96 दिनांक 12.04.2016 के तहत दोहरा कार्यभत्ता स्वीकृत किया गया।

श्रीमती के.बी. वन्दना, अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं लैंगिक अध्ययन केन्द्र, जोधपुर द्वारा विश्वविद्यालय के कुलसचिव पद का सम्पादित किया गया अतिरिक्त कार्य हेतु विश्वविद्यालय द्वारा किये गये अतिरिक्त कार्यभत्ता भुगतान का प्रकरण, प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष वास्ते अवलोकनार्थ एवं पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया।

निर्णय- विश्वविद्यालय के कुलसचिव पद पर अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किये गये अतिरिक्त कार्य हेतु, श्रीमती के.बी. वन्दना को स्वीकृत किये गये दोहरा कार्यभत्ता की पुष्टि प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से की गई।

बिन्दु संख्या-8/10- विश्वविद्यालय द्वारा BECIL के साथ किये गये सहमति-पत्र (MOU) के अन्तर्गत करवाये गये निर्माण कार्यों के व्यय की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रकरण विचार एवं अनुमोदन।

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 10.09.2013 को किये गये आवेदन के क्रम में, RIICO द्वारा Corporate Social Responsibility के अन्तर्गत वर्ष 2013.14 में, विश्वविद्यालय में Under Graduate Laboratory and Online training centre के तहत Digital Class बनवाये जाने हेतु, विश्वविद्यालय को, तीन किश्तों में, राशि रूपये 100.00 लाख का भुगतान किये जाने की सहमति प्रदान की गई थी।

विश्वविद्यालय में प्राप्त उक्त सहमति की क्रियान्विति हेतु, विश्वविद्यालय के दईज़र स्थित अस्थाई परिसर में संचालित किये जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत नवीनतम पद्धति से अध्ययन-अध्यापन करवाने के लिए स्टूडियो निर्माण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा, दिनांक 25 नवम्बर 2014 को, BECIL (Broadcast Engineering Consultants India Limited), Noida के साथ सहमति-पत्र (MOU) हस्ताक्षरित किया गया। जिसके अनुसार, विश्वविद्यालय के अस्थाई परिसर में स्टूडियो

निर्माण के लिए अनुमानित राशि रुपये 70.00 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित किया गया और इसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में BECIL द्वारा पत्रांक L./No.BECIL/PI-13/2015-16 दिनांक 24.02.2015 एवं Invoice no. BECIL/Pl-13/2014-15 दिनांक 24.02.2015 के तहत प्रथम किश्त के रूप में राशि रुपये 30,83,147/- (कुल अनुमानित लागत के 40% की राशि) का भुगतान/स्वीकृत करने हेतु निवेदन किये जाने पर, माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त, चैक संख्या-025995 दिनांक 09.05.2015 के तहत उपर्युक्तानुसार राशि का भुगतान किया जाकर, शीघ्रातिशीघ्र निर्माण-कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में, BECIL द्वारा, विश्वविद्यालय के दईज़र स्थित अस्थाई परिसर में स्टूडियो का निर्माण एवं आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित करने के उपरान्त, दिनांक 04.07.2016 को कुल लागत में से भुगतान हेतु शेष राशि स्वीकृत एवं हस्तान्तरित करने हेतु आवश्यक बिल, इस विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किये गये परन्तु सहमति-पत्र में दर्शाई गई शर्तों के अनुरूप कार्य-सम्पादन नहीं किये जाने के कारण, विश्वविद्यालय द्वारा BECIL से आवश्यक स्पष्टीकरण मांगा गया है जो अपेक्षित है।

इसी प्रकार, RIICO द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर, विश्वविद्यालय द्वारा अस्थाई परिसर में Under Graduate Lab मय फर्नीचर, वर्ष 2014 में तैयार कर ली गई जिस पर राशि रूपये 26,68,330/- व्यय किया गया।

विश्वविद्यालय द्वारा करवाये गये उक्त निर्माण कार्य हेतु RIICO द्वारा दो किस्तों में राशि रूपये 71.27 लाख का भुगतान किया गया परन्तु BECIL द्वारा समय पर कार्य पूर्ण न होने के कारण RIICO द्वारा बकाया राशि (100.00 लाख में से शेष रूपये 28,73,000/-) हस्तान्तरित करने के लिए मना कर दिया गया क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

अतः विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में अन्तर्गत, विश्वविद्यालय के अस्थाई परिसर में निर्मित करवाये गये स्टूडियो हेतु व्यय की गई राशि रुपये 82,86,284/- की, कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रकरण/प्रस्ताव एवं BECIL द्वारा सम्पादित किये गये कार्य की शेष बकाया राशि का भुगतान University Fund से दिये जाने के लिए प्रस्ताव प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

<u>निर्णय -</u> विश्वविद्यालय द्वारा पुनः RIICO को स्मरण-पत्र लिखा जावें। यदि RIICO द्वारा बकाया राशि के भुगतान हेतु मना कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में, विश्वविद्यालय कोष से बची हुई राशि का भुगतान BECIL को किया जावें। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा BECIL के साथ किये गये सहमति-पत्र (MOU) के अन्तर्गत, करवाये गये निर्माण कार्यो के व्यय राशि रुपये 82,86,284/- की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रबन्ध बोर्ड द्वारा प्रदान की गई एवं अनुमोदन किया गया।

<u>बिन्दु संख्या- 8/11-</u> विश्वविद्यालय के स्थाई परिसर में पौधारोपण किये जाने हेतु, विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ किये गये सहमति-पत्र (MOU) के अनुसार अनुमानित राशि रुपये 21,00,000/- व्यय किये जाने की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के प्रकरण/प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के लोरड़ी पंडितजी स्थित स्थाई परिसर में प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रस्तावित भवनों यथा छात्र/छात्राओं हेतु पृथक्-पृथक् छात्रावास, एकेडमिक ब्लॉक, आवासीय भवन आदि का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और इस वर्ष, विश्वविद्यालय को सुपुर्द कर दिये जायेंगे जिससे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ प्रशासनिक एवं अशैक्षणिक गतिविधियाँ भी निर्बाध रूप से संचालित हो सकेंगी।

विश्वविद्यालय के लोरड़ी पंडितजी स्थित स्थाई परिसर में शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं अशैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन से, विश्वविद्यालय का स्वरूप और अधिक व्यापक हो सकेगा। विश्वविद्यालयीय-स्वरूप के और अधिक निखार के लिए, विश्वविद्यालय द्वारा सम्पूर्ण परिसर में, पौधारोपण किये जाने का निर्णय लिया गया जिसको फलींभूत करने के लिए, विश्वविद्यालय द्वारा भारत सरकार के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, जोधपुर उद्यान उपमण्डल, जोधपुर से सम्पर्क कर विभिन्न प्रकार के पौधे रोपित किये जाने हेतु अनुमानित व्यय से अवगत कराने हेतु निवेदन किया गया जिसके प्रत्युत्तर में सहायक निदेशक (उद्यान), जोधपुर उद्यान उप मण्डल, के.लो.नि.वि., जोधपुर द्वारा अपने पत्रांक 152 दिनांक 10.08.2016 के तहत मिट्‌टी-पानी की जांच कर, निश्चित दूरी पर गढढे खोदकर उनमें विभिन्न प्रकार के वृक्षों के पौधे जैसे नीम, गुलमोहर, अशोक, ट्यूलिप आदि रोपित कर, परिसर का सौन्दर्यकरण करने हेतु अनुमानित राशि रुपये 21,00,000/- (अक्षरे राशि रुपये इक्कीस लाख मात्र) का अनुमानित व्यय होने से अवगत कराया है (प्रति संलग्न)। विश्वविद्यालय के लोरड़ी पंडितजी स्थित स्थाई परिसर में पौधारोपण कर, परिसर का सौन्दर्यकरण करने हेतु 21,00,000/- (अक्षरे राशि रुपये इक्कीस लाख मात्र) व्यय किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रकरण, प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष वास्ते अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय - प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के स्थाई परिसर में पौधारोपण किये जाने हेतु, विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ किये गये सहमति-पत्र (डव्) के अनुसार अनुमानित राशि रुपये 21,00,000/- व्यय किये जाने की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई एवं अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या- 8/12- पूर्व में विभिन्न विभागों/संस्थाओं/राज्य एवं केन्द्र सरकार तथा इसके स्वायत्तशाषी संस्थाओं इत्यादि में कार्यरत कर्मचारियों के विश्वविद्यालय में नियुक्ति होने के उपरान्त वेतन संरक्षण की कार्योत्तर स्वीकृति।

सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर की स्थापना, राजस्थान विधानसभा में पारित सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2012 (32) के राजस्थान-राजपत्र में दिनांक 17.10.2012 को प्रकाशित होने के उपरान्त, विगत 03 वर्ष पूर्व उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के अन्तर्गत की गई। संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.26(क)(2)/गृह-2/2012 दिनांक 26.06.2015 के तहत, वर्तमान में, विश्वविद्यालय का प्रशासनिक विभाग परिवर्तित कर उच्च शिक्षा विभाग के स्थान पर गृह विभाग कर दिया गया है।

वर्तमान में, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के स्वयं के परिनियम, आर्डिनेन्सेज़ एवं सेवानियम (Regulation) निर्मित नहीं होने के कारण, विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में, विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के परिनियमों, आर्डिनेन्सेज़ एवं सेवानियमों (Regulation) का अनुसरण किया जा रहा है जिसमें उल्लिखित प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये विभिन्न शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर, वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में नियमानुसार प्रक्रिया का अनुसरण किया जाकर, नियमित नियुक्तियाँ प्रदान की गई। नवनियुक्त कार्मिकों द्वारा, पूर्व से राजकीय विभागों/राज्य एवं केन्द्रीय सरकार तथा इसके स्वायत्तशासी संस्थाओं/बोर्डों/स्थानीय निकायों/निगमों/उपक्रमों में कार्यरत होने के फलस्वरूप, वेतन संरक्षण (Pay Protection) किये जाने हेतु निवेदन किया गया। कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत किये गये निवेदन मय

आवश्यक संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया जाकर, राजस्थान विश्वविद्यालय हैण्डबुक II के चैप्टर LIX के विश्वविद्यालय कार्मिकों के वेतन स्थिरीकरण के नियम, 1985 के बिन्दु संख्या 6(प) के अनुसार "In case of a person appointed in the University in a scale of pay identical to one in which he/she was employed earlier in a University in India or a College affiliated to the University or in a Research Institute of Higher learning recognized as much by the University and/or in the State Government the basic pay protected. In such, the employee will be allowed the benefit of earning the annual grade increment on the date on which he/she would have earned with his/her previous employer." एवं राज्य सरकार के पत्रांक एफ.8(1)शिक्षा-4/2011 दिनांक 03.01.2012 के प्रावधानान्तर्गत माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार/ अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों का, वेतन संरक्षण (Pay Protection) से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण किया गया और उन्हें Existing कार्मिक माना जाकर, उन्हें वेतन संरक्षण एवं उनसे सम्बद्ध वेतनवृद्धि एवं अन्य आर्थिक लाभ प्रदान किये गये-

तालिका - A

क्र. सं.	नाम	पदनाम	पूर्व में प्राप्त कर रहे		नियुक्ति पर वेतन संरक्षित राशि	पूर्व के नियुक्ताधिकारी एवं संस्था का नाम
			वेतन बैण्ड	ग्रेड-पे		
(a) जो पूर्व में, राजस्थान सरकार के विभागों/अन्य राज्यीय सरकार के विश्वविद्यालयों में कार्यरत थे, वे कार्मिकः						
1.	डॉ. साधना मेघवाल	सहायक आचार्य (इतिहास)	15600-39100	6000/-	24670/-	एस.बी.के. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जैसलमेर
2.	डॉ. विनय कौड़ा	सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान)	9300-34800	4800/-	19500/-	माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
3.	श्री विजयसिंह	सहायक आचार्य (प्रबन्धन)	15600-39100	5400/-	21000/-	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
4.	श्री हीराराम सोऊ	सहायक कुलसचिव	9300-34800	4200/-	16860/-	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, पाली
5.	श्रीमती भगवती भंवरिया	कनिष्ठ लिपिक	5200-20200	2400/-	10140/-	जिला पुलिस अधीक्षक, कार्यालय राज.पुलिस, नागौर

उक्त के अतिरिक्त कतिपय कार्मिक, इस विश्वविद्यालय में नियुक्ति से पूर्व केन्द्र/अन्य राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के राजकीय उपक्रम, पी.एस.यू./प्रबन्ध संस्थान/प्रौद्योगिकी संस्थान में कार्यरत थे। उनके लिए राज्य सरकार के वेतन संरक्षण के प्रावधान/आदेश नहीं है।

इसी क्रम में सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर की स्थापना वर्ष 2012 में की गई एवं विश्वविद्यालय के विकास, प्रगति एवं प्रशासनिक/शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन के उद्देश्य से, अनुभव प्राप्त कार्मिकों की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय द्वारा रिक्त पदों को भरे जाते समय, अन्य केन्द्रीय/राज्यीय सरकारों में कार्यरत कार्मिकों का कार्यानुभव वांछित रखा गया एवं आवेदन करने वाले अनुभवधारी अभ्यर्थियों को, अनुभव के आधार पर, चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता प्रदान की गई।

विश्वविद्यालय में चयनित अनुभव प्राप्त निम्नलिखित अभ्यर्थियों द्वारा, चयनोपरान्त निवेदन किये जाने पर, माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार, उन्हें **Existing** कार्मिक मानकर, उन्हें, उनका गत वेतन संरक्षण एवं उनसे सम्बद्ध आर्थिक लाभ भी दिये गये -

तालिका - B

क्र. सं.	नाम	पदनाम	पूर्व में कार्यरत संस्था एवं उनके द्वारा प्राप्त वेतन का विवरण							इस विश्वविद्यालय में नियुक्ति पर वेतन, जिसका संरक्षण किया		दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि के उपरान्त वेतन नियतन			वि.वि.
			पूर्व संस्था का नाम	पद	इस वि.वि. में नियुक्ति हेतु किया गया आवेदन	किस हैसियत से कार्यरत था (नियमित/ संविदा)	वेतन बैण्ड	ग्रेड पे	प्राप्त मूल वेतन	नियुक्ति तिथि	वेतन राशि	वेतन बैण्ड	ग्रेड पे	वेतन	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	डॉ. मिथिलेश नारायण भट्ट	सहायक आचार्य (विधि)	रक्षा शक्ति वि.वि., गुजरात सरकार, अहमदाबाद	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	उचित माध्यम से	नियमित	15600-39100	6000/-	21600/-	20.01.14	21600/-	15600-39100	6000	22740/-	
2.	श्री हिमान्शु शर्मा	निजी सचिव	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर	कनिष्ठ अधीक्षक	उचित माध्यम से	संविदा	9300-34800	4200/-	13500/-	09.01.14	13500/-	15600-39100	5400	21000/-	
3.	डॉ. अभिषेक शर्मा	सहा.आचार्य (साईकोलॉजी)	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, रायपुर	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	त्याग-पत्र से	संविदा	Consolidated Pay 68400/-			11.01.14	21600/-	15600-39100	6000	22740/-	
4.	श्री अरूण शर्मा	अनुभागाधिकारी	एस.सी.ई.आर.टी. एनसीटी सरकार, नई दिल्ली	व.लि./ असिस्टेन्ट	उचित माध्यम से	नियमित	5200-20200	2800/-	14550/-	16.05.13	14550/-	9300-34800	4800	18750/-	
5.	श्री बलवीर सिंह	निजी सहायक	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, बीकानेर	आशुलिपिक	उचित माध्यम से	नियमित	5200-20200	2400/-	11860/-	18.05.13	11860/-	9300-34800	4200	14430/-	
6.	श्री रामचन्द्र सोलंकी	वरिष्ठ लिपिक	फ्रन्टियर मुख्यालय, सी.सु.बल, त्रिपुरा	वरिष्ठ लिपिक	उचित माध्यम से	नियमित	5200-20200	2800/-	12630/-	08.08.14	12630/-	5200-20200	2800	13010/-	
7.	श्री अर्जुन चौधरी	सहा. आचार्य (कम्प्यू. साईन्स)	भारतीय स्टेट बैंक, चण्डीगढ़	असिस्टेन्ट मैनेजर (सिस्टम)	उचित माध्यम से	नियमित	14500-25700	No GP	15700/-	09.01.14	15700/-	15600-39100	6000	22740/-	
8.	श्री नरेन्द्र सिंह	कनिष्ठ लिपिक	एसटीसी, सीमा सुरक्षा बल, जोधपुर	कनिष्ठ लिपिक	त्याग-पत्र से	नियमित	5200-20200	2400/-	11170/-	01.07.14	11170/-	5200-20200	2400	11510/-	
9.	श्री अनुज त्यागी	निजी सहायक	वनस्थली विद्यापीठ, जयपुर	Exe.--Assistant (Admin.)	उचित माध्यम से	नियमित	9300-34800	---	20720/-	06.05.13	16370/-	9300-34800	4200	14430/-	प्रकरण मा. उच्च न्यायालय में विचाराधीन। अतः निर्णय के अध्यधीन

विश्वविद्यालय द्वारा स्थिर पारिश्रमिक पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में, पत्रांक 1408 दिनांक 30.06.2016 (प्रति संलग्न) के तहत संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग (नियम अनुभाग), राजस्थान सरकार, जयपुर से आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया। प्रत्युत्तर में, संयुक्त शासन सचिव-I, वित्त विभाग (नियम अनुभाग), राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प.(12) वित्त/नियम/2016 दिनांक 03.08.2016 के तहत दिशा-निर्देश प्रदान किये हैं (प्रति संलग्न) जिसमें केवल राज्य सरकार द्वारा स्थापित या राज्य सरकार के नियत्रणाधीन संस्थानों से आने वाले कार्मिकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा सकता है, बताया गया।

वर्ष 2012 में स्थापित किये गये सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के नवस्थापित होने एवं विश्वविद्यालय की शैशवावस्था को देखते हुए, विश्वविद्यालय में कार्यरत उक्त कार्मिकों का वेतन संरक्षण **(Pay Protection)** विश्वविद्यालय हित को ध्यानू में रखते हुए, उनके पूर्वानुभव के आधार पर किया गया था। इस संबंध में वित्त विभाग की स्पष्ट नीति/नियम वर्ष 2016 में प्राप्त हुआ है।

अतः विश्वविद्यालय द्वारा उक्त कार्मिकों के किये गये वेतन संरक्षण की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव वास्ते अवलोकनार्थ एवं कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया।

<u>निर्णय –</u> प्रबन्ध बोर्ड द्वारा पूर्व में विभिन्न विभागों/संस्थाओं/राज्य एवं केन्द्र सरकार तथा इसके स्वायत्तशाषी संस्थाओं इत्यादि में कार्यरत कर्मचारियों के विश्वविद्यालय में नियुक्ति होने के उपरान्त वेतन संरक्षण की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार किया गया।

सदस्य महानुभावों द्वारा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय ऐसे सभी कार्मिकों को अधिक भुगतान की गई राशि का आंकलन किया जाये। कुछ कर्मचारियों द्वारा रिकवरी राशि का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो पाने की स्थिति में उनको वित्तीय परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चूंकि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है, रिकवरी करने की स्थिति में समस्त प्रकरण न्यायालय में जाने की संभावना को देखते हुवे अन्य विकल्पों पर विचार करने का सुझाव प्रबन्ध बोर्ड द्वारा दिया गया।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि जिन कर्मचारियो व अधिकारियों को वेतन संरक्षण करते हुवे अधिक राशि का भुगतान किया गया है, उस राशि का पुनर्भरण विश्वविद्यालय कोष (गैर सरकारी स्त्रोत से आयी हुई राशि) से राज्य सरकार को कर दिया जावें। अतः इस प्रकरण को प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विचाराधीन रखते हुवे सभी विकल्पों पर विचार कर विस्तृत रिपोर्ट प्रबन्ध बोर्ड की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया।

<u>बिन्दु संख्या- 8/13-</u> विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियुक्त कार्मिकों की परीवीक्षाकाल अवधि पूर्ण होने पर, कार्मिकों के नियमितीकरण के आदेश जारी करने की स्वीकृति/पुष्टि पर विचार।

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये विभिन्न शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर, विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष **2014-15** में निर्धारित प्रक्रियानुसार चयनित कार्मिकों को नियमित नियुक्तियां प्रदान की गई। विश्वविद्यालय द्वारा की गई नियुक्तियों के अनुसार निम्नलिखित कार्मिकों की, उनके द्वारा कार्यग्रहण किये जाने की तिथि अनुसार, माह **जून/जुलाई, 2015** एवं माह **जनवरी/मार्च/जून/जुलाई/सितम्बर-2016** तक, उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को, परीवीक्षाकाल अवधि पूर्ण हो चुकी है-

S. N.	Employee Name	Designation	Office Order No. & Date for Appointment	Joining Date (F/n)	Date of Confirmation
1	2	3	4	5	6
शैक्षणिक कार्मिक: उक्त कार्मिकों के नियमितीकरण का आदेश, प्रबन्ध बोर्ड की स्वीकृति के अद्यधीन जारी किया गया					
1.	Dr. Mithilesh N. Bhatt	Asst.Prof.	1647-1659/23.12.13	20.01.2014	**20.01.2016**
2.	Smt. Sheetal Makhija	Asst.Prof.	1904/03.03.2014	10.03.2014	**10.03.2016**
3.	Sh. Vijay Singh	Asst.Prof.	1647-1659/23.12.13	05.03.2014	**05.03.2016**
परीवीक्षाकाल अवधि पूर्ण होने के उपरान्त नियमितीकरण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव:					
1.	Mr. Heeraram Sou	Asstt. Registrar	5028/11.07.2014	14.07.2014	**14.07.2016**
2.	Mrs. Surabhi Gupta	Asst.Prof.	7392-94/11.09.2016	13.09.2014	**13.09.2016**
3.	Dr. Meenakshi Punia	Asst.Prof.	7395-97/11.09.2014	17.09.2014	**17.09.2016**

S. N.	Employee Name	Designation	Office Order No. & Date for Appointment	Joining Date (F/n)	Date of Confirmation
1	2	3	4	5	6
परीवीक्षाकाल अवधि पूर्ण होने के उपरान्त नियमितीकरण हेतु जारी किये गये आदेशों की पुष्टि हेतु प्रस्ताव:					
1.	Sh. Gautam Bhati	I.A.	597/18.06.2013	26.06.2013	**26.06.2015**
2.	Sh. Praveen Gehlot	I.A.	597/18.06.2013	29.07.2013	**29.07.2015**
3.	Sh. Mahendra Parihar	Clerk Grade-I	4789-91/27.06.2014	28.06.2014	**28.06.2016**
4.	Sh. Anirudh Sankhla	Clerk Grade-II	4892-4901/27.06.2014	28.06.2014	**28.06.2016**
5.	Sh. Rakesh Chouhan	Clerk Grade-II	4892-4901/27.06.2014	28.06.2014	**28.06.2016**
6.	Sh. Abdul Wasim	Clerk Grade-II	4892-4901/27.06.2014	28.06.2014	**28.06.2016**
7.	Sh. Ravi Kumar	Clerk Grade-II	4892-4901/27.06.2014	28.06.2014	**28.06.2016**
8.	Sh. Bhanwar Das	Driver	4902/27.06.2014	28.06.2014	**28.06.2016**
9.	Sh. Narendra Singh	Clerk Grade-II	4892-4901/27.06.2014	01.07.2014	**01.07.2016**
10.	Sh. Pushpendra Singh	Clerk Grade-I	4789-91/27.06.2014	02.07.2014	**02.07.2016**
11.	Sh. Ganesh Prajapat	Clerk Grade-II	4892-4901/27.06.2014	02.07.2014	**02.07.2016**

अतः सूचीबद्ध उक्त कार्मिकों के विरूद्ध परीवीक्षाकाल अवधि (दो वर्ष) में, कार्यालय अभिलेख के अनुसार कोई अनुशासनात्मक/विभागीय कार्यवाही लम्बित/विचाराधीन नहीं होने के कारण, राज्य सरकार के नियमानुसार वेतनमान एवं ग्रेड-पे के आधार पर, विश्वविद्यालय द्वारा परीवीक्षाकाल अवधि पूर्ण होने की दिनांक से, नियमितीकरण के आदेश जारी किये जाने की स्वीकृति/पुष्टि हेतु प्रस्ताव, प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष वास्ते अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय – प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियुक्त कार्मिकों की परीवीक्षाकाल अवधि पूर्ण होने पर कार्मिकों के नियमितीकरण के आदेश जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई एवं जारी किये गये नियमितीकरण के आदेशों की पुष्टि की गई।

सदस्यगणों द्वारा सुझाव दिया गया कि भविष्य के लिए शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक नियमितीकरण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नियम बनाये जावें एवं प्रक्रिया निर्धारित की जावें ताकि उनके द्वारा परीवीक्षा अवधी में किये गये कार्यो की प्रभावी समीक्षा की जा सके एवं गैर जिम्मेदार कार्मिकों पर कारवाई की जा सकें।

कुलपति महोदय ने प्रबन्ध बोर्ड को बताया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में कोई भी आचार्य एवं सह-आचार्य नहीं होने की वजह से Performance Appraisal के कार्यो में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इस पर सदस्यगणों ने सुझाव दिया है कि हरेक विभाग में सहायक आचार्य में से ही किसी एक सहायक आचार्य को विभागाध्यक्ष बनाया जावें।

-:: टेबल ऐजेन्डा ::-

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं.1:- श्री राजकुमार अरोड़ा, सह-आचार्य (प्रतिनियुक्ति पर) एसपीयूपी, जोधपुर द्वारा आचार्य का पद दिये जाने हेतु, किये गये निवेदन पर विचार एवं निर्णय।

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा विज्ञापन क्रमांक एसपीयूपी/रिक्रूट./एस-8/2014-15/7885 दिनांक 14.11.2014 जारी कर, विभिन्न शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया (प्रति संलग्न)।

विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये उक्त विज्ञापन का संदर्भ लेते हुए, श्री राजकुमार अरोड़ा, कमाण्डेन्ट (वेतनमान **37400-67000 Grade Pay 8700/-**), सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर (**प्रतिनियुक्ति पर**) हेतु अपना आवेदन-पत्र (प्रति संलग्न), इस विश्वविद्यालय को प्रेषित किया गया। विश्वविद्यालय में श्री राजकुमार अरोड़ा के प्राप्त आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में, माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार साक्षात्कार आयोजित कर, श्री राजकुमार अरोड़ा का चयन, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक संवर्ग के अनतर्गत सह-आचार्य (सिक्योरिटी एण्ड इन्टेलीजेन्स स्टडीज़) के रिक्त पद पर (**प्रतिनियुक्ति पर**), कार्यालय आदेश क्रमांक 1951-58 दिनांक 24.09.2015 के तहत वेतनमान **37400-67000 Grade Pay 9000/-** के अन्तर्गत किया गया (प्रति संलग्न)।

श्री राजकुमार अरोड़ा द्वारा, विश्वविद्यालय के आदेश की अनुपालना में दिनांक 01.01.2016 को मध्याह्न पूर्व, माननीय कुलपति महोदय के समक्ष, पुलिस मुख्यालय, जयपुर में कार्यग्रहण करने हेतु अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की गई (प्रति संलग्न)।

श्री राजकुमार अरोड़ा द्वारा दिनांक 05 जुलाई 2016 के तहत इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि :-

1. SPUP advertise the post of professor on permanent/deputation vide advertisement no. SPUP/RECT/S-8/2014-15/7885 dated 14.11.2014 and accordingaly as per terms and conditions given by SPUP, he submitted and application and willingness for post of Professor, Security and Intelligence Studies.

2. After receving the application and willingness of him, Hon'ble Vice Chancellor, SPUP also confirmed the same in a letter Written to DG, BSF that Mr. R.K. Arora, Commandant, BSF, fulfil all the eligibility criteria for the advertised post.

3. As Grade Pay Rs. 8700 and Rs. 9000 (only exists in academic institutions) are un-identical Pay Scales but all financial benefits/ entitlement are same. Grade Pay Rs. 9000 dose not exist in the Goverment administrative deparments, hence option of Rs. 8700 Grade Pay or Rs. 9000 are same.

श्री राजकुमार अरोड़ा द्वारा, इस विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया गया आवेदन-पत्र एवं अन्य शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रस्तुत की गई जानकारी प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विस्तृत अध्ययन एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत की गई।

निर्णयः- प्रबन्ध बोर्ड द्वारा श्री राजकुमार अरोड़ा, सह-आचार्य (**प्रतिनियुक्ति पर**) एसपीयूपी, जोधपुर द्वारा आचार्य का पद दिये जाने हेतु, किये गये निवेदन पर विचार किया गया।

बैठक में DIG के ग्रेड-पे पर चर्चा की गई जो कि रूपये 8900/- होता है। इसके अतिरिक्त श्री अरोड़ा द्वारा सह-आचार्य के पद पर प्रतिनियुक्ति के लिये यदि पूर्व में कभी भी मना किया गया हो तो ऐसे समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ प्रबन्ध बोर्ड द्वारा यह प्रकरण विचाराधीन रखा गया।

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं.2:- विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाले निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में, सत्र 2013-15, 2013-16 एवं 2014-16 से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की सूची का अनुमोदन।

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर संचालित किये जाने वाले निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में, सत्र **2013-15, 2013-16** एवं **2014-16** में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को, उपाधि प्रदान किये जानें हेतु, शीघ्र ही दीक्षान्त समारोह का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। एतदर्थ उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की सूची, प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष वास्ते अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई।

Session: 2013-15: Result Declared on: 25th June 2015

Course Name: M.A. in Political Science				
S. No.	**Enrolment No.**	**Student Name**	**Result**	**Remark**
1	13/PL/002	Mukesh Kumar	Pass	-
2	13/PL/004	Pratap Singh	Pass	-
3	13/PL/005	Surendra Prajapat	Pass	-

Session: 2013-15: Result Declared on: 13th July 2015

Course Name: MS(Master of Science) Cyber Security				
S. No.	**Enrolment No.**	**Student Name**	**Result**	**Remark**
1	13/MS/001	Ajeet Singh Choudhary	Pass	-
2	13/MS/002	Ankita Charan	Pass	-
3	13/MS/003	Anu S Varghese	Pass	-
4	13/MS/004	Arjun Suthar	Pass	-
5	13/MS/005	Avi Joshi	Pass	-
6	13/MS/006	Bal Ram	Pass	-
7	13/MS/007	Chetan Prakash Sharma	Pass	-
8	13/MS/008	Chitra Sharma	Pass	-
9	13/MS/009	Devendra Singh Solanki	Pass	-
10	13/MS/010	Divesh Singh Charan	Pass	-
11	13/MS/011	Hetram Yadav	Pass	-
12	13/MS/012	Himanshu Joshi	Pass	-
13	13/MS/013	Ishwar Seju	Pass	-
14	13/MS/015	Madan Lal Goura	Pass	-
15	13/MS/016	Mukul Prajapati	Pass	-
16	13/MS/017	Nalinaksh Joshi	Pass	-
17	13/MS/018	Nitish Vyas	Pass	-
18	13/MS/019	Phool Chand	Pass	-
19	13/MS/020	Pooja Trivedi	Pass	-
20	13/MS/021	Prerana Prajapat	Pass	-
21	13/MS/022	Rashu	Pass	-
22	13/MS/023	Shariq Imroz Khan	Pass	-
23	13/MS/024	Shashant Gaur	Pass	-
24	13/MS/025	Shiv Raj Singh	Pass	-
25	13/MS/026	Sumeet Mangal	Pass	-
26	13/MS/027	Swati Yadav	Pass	-
27	13/MS/028	Umesh Kumar	Pass	-
28	13/MS/029	Yogendra Singh Chahar	Pass	-
29	13/MS/030	Saurabh Tiwari	Pass	-
30	13/MS/016	Mukul Prajapati	Pass	-

SPUP
SARDAR PATEL UNIVERSITY OF POLICE, SECURITY AND CRIMINAL JUSTICE JODHPUR

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय
(राजस्थान सरकार के राज्य विधानसभा कानून के तहत स्थापित)
दईज़र, मथानिया रोड़, जोधपुर (राज.)

Session 2013-16: Result Declared on: 22nd June 2016

Course Name: B.A. (Social Science)				
S. No.	**Enrolment No.**	**Name of Candidates**	**Result**	**Remarks**
1	13/IN/001	Ajay Singh	Pass	-
2	13/IN/002	Anil Kumar	Pass	-
3	13/IN/003	Anil Vishnoi	Pass	-
4	13/IN/005	Arabkesh Meena	Pass	-
5	13/IN/006	Arti Choudhary	Pass	-
6	13/IN/007	Arvin	Pass	-
7	13/IN/008	Ashish Naik	Pass	-
8	13/IN/009	Bhagwan Singh	Pass	-
9	13/IN/010	Bharat Enani	Pass	-
10	13/IN/011	Chakravarti Singh	Pass	-
11	13/IN/012	Deepika Kumari Meena	Pass	-
12	13/IN/013	Dhirendra Pratap	Pass	-
13	13/IN/014	Dhirendra Singh	Pass	-
14	13/IN/015	Garima Kumawat	Pass	-
15	13/IN/016	Gopal Detha	Pass	-
16	13/IN/017	Hitesh Kumar Meena	Pass	-
17	13/IN/018	Jitendra Kumar	Pass	-
18	13/IN/021	Meghraj Kumawat	Pass	-
19	13/IN/022	Mehendra Charan	Pass	-
20	13/IN/023	Pawan Kumar Bhati	Pass	-
21	13/IN/024	Pintu Kumar Mahla	Pass	-
22	13/IN/025	Prakash Ram	Pass	-
23	13/IN/026	Puneet Kumar Yadav	Pass	-
24	13/IN/027	Raghuveer Singh	Pass	-
25	13/IN/028	Rahul Kumar	Pass	-
26	13/IN/029	Rishiraj Singh Shekhawat	Pass	-
27	13/IN/030	Sajjan Kumar	Pass	-
28	13/IN/031	Saksham Toonwal	Pass	-
29	13/IN/032	Samdar Singh	Pass	-
30	13/IN/033	Shefali Choudhary	Pass	-
31	13/IN/034	Shiv Prakash Choudhary	Pass	-
32	13/IN/035	Shivam Singhal	Pass	-
33	13/IN/036	Shivraj Singh Rathore	Pass	-
34	13/IN/037	Shubham Chandak	Pass	-
35	13/IN/038	Srashti Sahu	Pass	-
36	13/IN/039	Surendra Singh	Pass	-
37	13/IN/040	Yadram Meena	Pass	-

Session 2014-16: Result Declared on: 22nd June 2016

Course Name: MS(Master of Science) Cyber Security				
S. No.	**Enrolment No.**	**Name**	**Result**	**Remark**
1	14/MS/002	Devanshu Gehlot	Pass	-
2	14/MS/003	Jatin Kumar Kumawat	Pass	-
3	14/MS/004	Jyotsna Saxena	Pass	-
4	14/MS/005	Karmaram Kala	Pass	-
5	14/MS/007	Madhav Gaur	Pass	-
6	14/MS/008	Mahaveer Inaniya	Pass	-
7	14/MS/009	Manit Narayan Mewara	Pass	-
8	14/MS/011	Mohd Ateeque	Pass	-
9	14/MS/012	Mukesh Kumar Pannu	Pass	-
10	14/MS/013	Narendra Panwar	Pass	-
11	14/MS/014	Naresh Kumar Saini	Pass	-
12	14/MS/015	Neelima Chandak	Pass	-
13	14/MS/016	Nishant Grover	Pass	-
14	14/MS/017	Nitesh Kaushal	Pass	-
15	14/MS/018	Pragya Johari	Pass	-
16	14/MS/019	Preeti Varghese	Pass	-
17	14/MS/020	Rahul Kumar Kumawat	Pass	-
18	14/MS/021	Rakesh Kumar	Pass	-
19	14/MS/023	Rohan Wahi	Pass	-
20	14/MS/024	Sakshi Tanwar	Pass	-
21	14/MS/025	Shefali Sethi	Pass	-
22	14/MS/026	Sonika Mirdha	Pass	-
23	14/MS/027	Tarun Trivedi	Pass	-
24	14/MS/028	Vikas Yadav	Pass	-
25	14/MS/029	Vikash Kumar Saini	Pass	-
26	14/MS/030	Vinod Parihar	Pass	-

Sardar Patel University of Police, Security & Criminal Justice, Daijar, Jodhpur -342304 (Raj.)
Website: www.policeuniversity.ac.in, E-mail- registrar@policeuniversity.ac.in

Session 2014-16: Result Declared on: 22nd June 2016

Course Name: M.A./M.Sc. in Applied Criminology				
S. No.	**Enrolment No.**	**Name**	**Remark**	**Specialization**
1	14/CR/001	Ajay Singh Rathore	Pass	Human Rights
2	14/CR/002	Anand Gora	Pass	Police Studies
3	14/CR/005	Kalik Dev	Pass	Police Studies
4	14/CR/006	Kanhaiya Lal Khichi	Pass	Police Studies
5	14/CR/007	Laksheeta Choudhary	Pass	Human Rights
6	14/CR/008	Mohit Nandwani	Pass	Social Works
7	14/CR/009	Prakash Prajapat	Pass	Police Studies
8	14/CR/010	Priyanka Kumari Mahalawat	Pass	Police Studies
9	14/CR/011	Ramyyata Tewari Garg	Pass	Police Studies
10	14/CR/012	Rashmi Goswami	Pass	Police Studies
11	14/CR/013	Rishabh Jain	Pass	Police Studies
12	14/CR/014	Sikandar Singh Rathore	Pass	Police Studies
13	14/CR/015	Sunil Choudhary	Pass	Police Studies
14	14/CR/016	Swati Veerwal	Pass	Police Studies
15	14/CR/017	Swati Verma	Pass	Police Studies
16	14/CR/018	Venkadesh K	Pass	Police Studies

निर्णयः- प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाले निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में, सत्र 2013-15, 2013-16 एवं 2014-16 से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की सूची का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं.3:- विश्वविद्यालय का न्यायिक क्षेत्र जोधपुर मुख्यालय नियत किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, **2012** की धारा-**3(3)** के प्रावधानानुसार, **विश्वविद्यालय का मुख्यालय, जोधपुर में होगा जो कुलपति का मुख्यालय होगा।**

इसी प्रकार विश्वविद्यालय अधिनियम, **2012** की धारा-**3(5)** में उल्लिखित प्रावधानानुसार **"विश्वविद्यालय द्वारा अथवा इसके विरूद्ध और अन्य विधिक कार्यवाहियों में अभिवचन, कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किये जायेंगे और ऐसे वादों और कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकाएं कुलसचिव को जारी और तामील किये जायेंगे।"**

विश्वविद्यालय के कुलपति पद के रिक्त होने के कारण, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, **2012** की धारा-**11(4)** एवं **11(5)** में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य

सरकार की सलाह पर, डॉ. भूपेन्द्र सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक एवं प्रति-कुलपति, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर को नियमित कुलपति की नियुक्ति अग्रिम आदेशों तक अस्थाई व्यवस्था हेतु, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त किया गया है।

वर्तमान में, पुलिस मुख्यालय, जयपुर में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्यरत होने के कारण, डॉ. भूपेन्द्र सिंह का मुख्यालय जयपुर शहर है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर किये गये वाद के निस्तारण हेतु अधिकारियों/कार्मिकों को, वाद से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज/पत्रावलियों इत्यादि लेकर, विश्वविद्यालय के जोधपुर मुख्यालय से बाहर की यात्राऐं करनी पड़ती हैं जिसमें समय एवं अनावश्यक वित्तीय भार वहन करना पड़ता है।

अतः विधिक प्रकरणों के निस्तारण, अनावश्यक व्यय एवं वित्तीय हानि से बचने हेतु विश्वविद्यालय का न्यायिक क्षेत्र जोधपुर शहर नियत किये जाने का प्रस्ताव, प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष वास्ते अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः- प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय का न्यायिक क्षेत्र जोधपुर मुख्यालय नियत किये जाने की स्वीकृति दी गई एवं अनुमोदन किया गया।

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं.4:-केन्द्रीय सेवा में कार्यरत कार्मिको को विश्वविद्यालय में नियमित नियुक्ति प्रदान किये जाने के उपरान्त, परीवीक्षाकाल अवधि के दौरान किये ये उनके वेतन संरक्षण एवं परीवीक्षाकाल अवधि के पश्चात् वेतन नियतन करने के प्रकरण पर विचार।

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा एजेन्डा बिन्दु संख्या 8/12 में वर्णितानुसार वर्ष **2013-14** एवं **2014-15** में नवनियुक्त कार्मिकों को परीवीक्षाधीन रखते हुवे नियुक्तियां प्रदान की गई थी एवं पूर्व में राजकीय विभागों, राज्य एवं केन्द्र सरकार एवं उनके अधीन स्वायत्तशासी संस्थानों/बोर्ड/निकाय, अन्य राज्य सरकार एवं उनके अधीन स्वायत्तशासी संस्थानों/बोर्ड/निकाय में कार्यरत कार्मिकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया था। परीवीक्षाकाल पूर्ण होने के उपरान्त नियमितीकरण करते समय जब वेतन स्थिरीकरण किया गया, तब छः कार्मिकों का वेतन स्थिरीकरण न्यूनतम वेतन पर ही किया गया। (इनका पूर्व संरक्षित वेतन परीवीक्षाकाल पूर्ण करने के पश्चात नियतन किये जाने वाले न्यूनतम वेतन से कम था।) अतः इन छः कार्मिकों का वेतन नियतन वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के नियम अनुभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(2)वित्त/नियम/2016 दिनांक 03.08.2016 से प्रभावित नहीं हुआ, परन्तु शेष तीन कार्मिकों- 1. श्री मिथिलेष नारायण भट्ट, सहायक आचार्य 2. श्री रामचन्द्र सोलंकी, वरिष्ठ लिपिक एवं 3. श्री नरेन्द्रसिंह, कनिष्ठ लिपिक का पूर्व में संरक्षित वेतन परीवीक्षाकाल पूर्ण करने के पश्चात नियतन किये जाने वाले न्यूनतम वेतन से अधिक होने के कारण उक्त तीन कार्मिकों का वेतन नियतन वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के नियम अनुभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(2)वित्त/नियम/2016 दिनांक 03.08.2016 से प्रभावित होता है। अतः उक्त तीन कार्मिकों का पूर्व में किया गया वेतन संरक्षण एवं वेतन नियतन जो कि परीवीक्षाकाल के बाद नियतन किये जाने वाले न्यूनतम वेतन से अधिक है, का पुनःनिर्धारण वित्त विभाग के निर्देशानुसार न्यूनतम वेतन पर करना है या नहीं, पर विचार करना है एवं निर्णय लेना है।

निर्णयः- पूर्व में राजकीय विभागों, राज्य एवं केन्द्र सरकार एवं उनके अधीन स्वायत्तशासी संस्थानों/बोर्ड/निकाय,अन्य राज्य सरकार एवं उनके अधीन स्वायत्तशासी संस्थानों/बोर्ड/निकाय में कार्यरत कार्मिकों को विश्वविद्यालय में नियुक्ति प्रदान किये जाने के उपरान्त, परीवीक्षाकाल अवधि के दौरान किये गये उनके वेतन संरक्षण एवं परीवीक्षाकाल अवधि के पश्चात् वेतन नियतन करने के प्रकरण पर विचार किया गया।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से वित्त विभाग, (नियम अनुभाग), राजस्थान सरकार, जयपुर के संदर्भित पत्र की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये एवं उक्तानुसार विश्वविद्यालय द्वारा ऊपर दर्शाये गये तीन कार्मिकों यथा 1. श्री मिथिलेश नारायण भट्ट, सहायक आचार्य 2. श्री रामचन्द्र सोलंकी, वरिष्ठ लिपिक एवं 3. श्री नरेन्द्रसिंह, कनिष्ठ लिपिक का वेतन नियतन, उनके वेतनमान के न्यूनतम (Minimum of Pay) पर किये जाने की सहमति प्रदान की गई।

<u>टेबल एजेण्डा बिन्दु सं.5</u>:- प्रवेश निरस्त किये जाने पर निर्धारित राशि की कटौती किये जाने के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा संचालित किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों में, विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से, प्रवेश लेने वाले छात्रों द्वारा, निजी कारणों से प्रवेशोपरान्त पुनः प्रवेश निरस्त करने हेतु आवेदन किया जाकर, पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित फीस लौटाने (**refund**) हेतु निवेदन किये जाने के फलस्वरूप, विश्वविद्यालय द्वारा आदेश क्रमांक **943-49** दिनांक **08.07.2015** (प्रति संलग्न) के तहत प्रवेश हेतु जमा कराई राशि में से निम्नलिखितानुसार राशि की कटौती की जाकर, शेष फीस लौटाने की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया -

1. शुल्क जमा कराए जाने वाले दिन ही, प्रवेश निरस्त कराये जाने एवं फीस लौटाने हेतु आवेदन करने पर राशि रुपये **1500/-** की कटौती की जायेगी।

2. शुल्क जमा कराए जाने के दिन से **07** दिवस (एक सप्ताह) के भीतर आवेदन करने पर, प्रक्रिया शुल्क के रूप में राशि रुपये **5,000/-** की कटौती की जायेगी।

3. शुल्क जमा कराए जाने के दिन से **15** दिवस (दो सप्ताह) के भीतर आवेदन करने पर, प्रक्रिया शुल्क के रूप में राशि रुपये **7,500/-** की कटौती की जायेगी।

4. यदि, किसी छात्र द्वारा **15** दिवस (दो सप्ताह) के पश्चात् परन्तु शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व, प्रवेश निरस्त करने हेतु आवेदन किया जाता है, तो प्रक्रिया शुल्क के रूप में राशि रुपये **10,000/-** की कटौती की जावेगी।

5. शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त प्रवेश निरस्त करने हेतु आवेदन करने पर, उसे मात्र जमानती राशि (**caution money**) ही लौटाई जावेगी। अन्य कोई राशि नहीं लौटाई जावेगी।

6. किन्हीं विशेष विषम परिस्थितियों में, यदि विश्वविद्यालय द्वारा किसी पाठ्यक्रम का संचालन बन्द/रोक दिया जाता है, तो सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों को, बिना किसी कटौती के, पूरी फीस लौटाई जायेगी।

विश्वविद्यालय द्वारा, प्रवेशोपरान्त पुनः प्रवेश निरस्त करने के सम्बन्ध में, उपर्युक्तानुसार प्रक्रिया निर्धारित कर, प्रवेश हेतु जमा कराई गई राशि में से कटौती किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित का प्रस्ताव, प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष वास्ते अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

<u>निर्णयः-</u> प्रबन्ध बोर्ड द्वारा प्रवेश निरस्त किये जाने पर निर्धारित राशि की कटौती किये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया एवं निम्नानुसार कटौती की स्वीकृति प्रदान की गई :-

1. शुल्क जमा कराए जाने के दिन से शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व, प्रवेश निरस्त करने हेतु आवेदन किया जाता है, तो प्रक्रिया शुल्क के रूप में राशि रुपये **10,000/-** की कटौती की जावेगी।

2. शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त प्रवेश निरस्त करने हेतु आवेदन करने पर, उसे मात्र जमानती राशि (**caution money**) ही लौटाई जावेगी। अन्य कोई राशि नहीं लौटाई जावेगी।

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं.6:- स्नातकोत्तर विषय के छात्रों के VIVA हेतु नियुक्त बाह्य परीक्षकों को दिये जाने वाले मानदेय पर विचार एवं अनुमोदन।

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रबन्ध बोर्ड की बैठक, जो दिनांक **23.12.2013** को आयोजित की गई थी, में प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुमोदनोपरान्त, विश्वविद्यालय में आवेदन वाले **Projects/Thesis evaluation/Viva-voce** हेतु अन्तरंग/बाह्य परीक्षकों को, इस कार्यालय के आदेश क्रमांक **3034-37** दिनांक **03.04.2014** के तहत **200/-** रुपये मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किये गये शोध के मूल्यांकन की व्यापक समीक्षा एवं **viva-voce** जैसी शैक्षणिक गतिविधियों की क्रियान्विति हेतु योग्य एवं विशेषज्ञ परीक्षकों की नितान्त आवश्यकता को देखते हुए, माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार, उक्त कार्य हेतु पूर्व निर्धारित मानदेय का राशि में अभिवृद्धि की जाकर, राशि रुपये **200/-** के स्थान पर राशि रुपये **1000/-** किये जाने का प्रस्ताव, प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष वास्ते अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः- स्नातकोत्तर विषय के छात्रों के VIVA हेतु नियुक्त बाह्य परीक्षकों को दिये जाने वाले मानदेय पर विचार किया गया एवं रूपये 5000/- प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय का अनुमोदन किया गया।

आसन को धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

(आनन्दी), आई.ए.एस.
कुलसचिव,
सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं
दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर।

Sardar Patel University of Police, Security & Criminal Justice, Daijar, Jodhpur -342304 (Raj.)
Website: www.policeuniversity.ac.in, E-mail- registrar@policeuniversity.ac.in